

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: एफ2(6761)/सूप्रौ/संस्था/15/पार्ट-13/00148/2024

दिनांक: 18/01/2024

आदेश

वित्त विभाग की सहमति दिनांक 01.10.2023 के द्वारा विभिन्न विभागों एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के नवीन संभागीय स्तरीय जिला कार्यालयों एवं नवीन जिला कार्यालयों में राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग के निम्नानुसार नवीन पदों के सृजन किये जाने की एतद्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

विभाग/कार्यालय का नाम	पदनाम	प्रति विभाग/ कार्यालय पदों की संख्या	कुल पद	पे मैट्रिक्स लेवल
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	तकनीकी निदेशक	1	1	L-21
वाणिज्यिक कर विभाग	तकनीकी निदेशक	1	1	L-21
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, डेटा सेन्टर डी.आर. साईट, जोधपुर	तकनीकी निदेशक	1	1	L-21
नवीन संभागीय स्तरीय जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (बांसवाड़ा, पाली एवं सीकर)	अतिरिक्त निदेशक	1	3	L-20
जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, दूदू, गंगापुरसिटी, केकडी, कोटपूतली-बहरोड, खैरथल-तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूमबर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण एवं जोधपुर ग्रामीण)	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	17	L-18

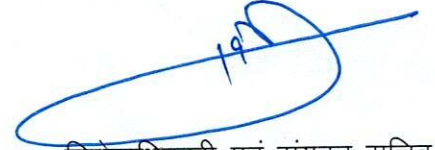
यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी संख्या 172302204 दिनांक 01.10.2023 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, संबंधित संभागीय आयुक्त।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय), शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संबंधित जिला कलक्टर।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित जिला कोषाधिकारी।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है, कि वे उपर्युक्त दर्शायी गई संशोधित कैडर स्ट्रेन्थ के अनुसार कार्यवाही कर आई.एफ.एम.एस. (IFMS) में अपडेट किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
12. संबंधित जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
13. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
14. लेखा शाखा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।


विशेषाधिकारी एवं संयुक्त सचिव